

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 273]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 मई 2011— ज्येष्ठ 5, शक 1933

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मई 2011

क्र. एफ-6-18-2010-तीन-जेल.—मध्यप्रदेश कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का सं. 18) की धारा-3(1) (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा जिला जेल, खण्डवा को इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से "शहीद जननायक टंट्या भील जेल, खण्डवा" के रूप में अधिसूचित करता है.

No. F-6-18-2010-Three-Jail.—In exercise of the powers conferred by Section-3(1) (C) of the Prisons Act, 1894 (No. 18 of 1894), the State Government hereby notify District Jail, Khandwa as "Shahid Jannayak Tantya Bheel Jail, Khandwa" from the date of issue of this notification.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. पीटर, उप सचिव.